IJARASEM

ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

निस्केयर
NISCAIR

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

बाल अपराध की समस्या के निराकरण में परिवार व कानून भूमिका एवं सुझाव

Dharmendra Kumar, Dr. S.K. Verma

Scholar, Baba Mastnath University, Rohtak, Haryana, India

Professor In Dept. Of Education, Baba Mastnath University, Rohtak, Haryana, India

सार

अध्ययन का समग्र उद्देश्य विभिन्न परिवार-संबंधित कारकों और अपराध के बीच संबंधों का पता लगाना था। अध्ययन में यह पता लगाने का भी प्रयास किया गया कि क्या वे कारक "बाल अपराध" के लिए प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि यद्यपि अलग-अलग कारक हैं जो बच्चे के चरित्र के विकास पर प्रभाव डालते हैं, परिवार बच्चे के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और परिणामस्वरूप बच्चे के चरित्र पर प्रभाव डालता है। अध्ययन की परिकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए, पेपर ने बाल अपराध और परिवार की अवधारणाओं की समीक्षा की। हालाँकि यह पेपर अपराध को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारकों पर केंद्रित था, लेकिन इसने बाल अपराध के स्तर को प्रभावित करने वाले गैर-पारिवारिक कारकों पर भी समान रूप से प्रीमियम लगाया। अध्ययन से पता चला कि परिवार से संबंधित कई उल्लेखनीय कारक हैं जो बाल अपराध पर प्रभाव डालते हैं। इनमें माता-पिता का रवैया, पारिवारिक सामंजस्य की डिग्री, शारीरिक हिंसा और असंबद्ध पालन-पोषण शामिल हैं। ऐसे गैर-पारिवारिक कारक भी हैं जो बाल अपराध पर प्रभाव डालते हैं, जिनमें बाल न्याय प्रणाली की विफलता, गरीबी, शिक्षा तक पहुंच की कमी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और आनुवंशिक समस्याएं शामिल हैं।

परिचय

परिवार से जुड़े कुछ जोखिम कारक स्थिर हैं, जबकि अन्य गतिशील हैं। स्थैतिक जोखिम कारक, जैसे आपराधिक इतिहास, माता-पिता की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं या बचपन में दुर्व्यवहार का इतिहास, समय के साथ बदलने की संभावना नहीं है। हालाँकि, गतिशील जोखिम कारक, जैसे कि माता-पिता का खराब व्यवहार, पारिवारिक हिंसा या माता-पिता की नशीली दवाओं की लत, को उचित रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।[1,2,3]

जोखिम कारकों का संचयी और संवादात्मक प्रभाव होता है: कई जोखिम कारकों के संपर्क में आने वाले परिवार को उच्च जोखिम वाला परिवार माना जाता है। इसके अलावा, कई जोखिम कारकों के संपर्क में आने वाले बच्चों और किशोरों को भी जीवन पथ पर आगे बढ़ने का उच्च जोखिम माना जाएगा जो अपराधी व्यवहार को जन्म देगा।[पाद लेख2]ऐसा इसलिए है क्योंकि न केवल जोखिम कारकों के प्रभाव जमा होते हैं, बल्कि कारक एक-दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं: एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है और इसी तरह। उदाहरण के लिए, माता-पिता की शराब की लत पारिवारिक झगड़ों का कारण बनती है, जिससे मादक द्रव्यों के सेवन का खतरा बढ़ जाता है।

परिवार की गतिशीलता और कामकाज से जुड़े जोखिम कारक

माता-पिता का अप्रभावी व्यवहार

- माता-पिता की ख़राब प्रथाओं, जैसे पर्यवेक्षण की कमी, के कारण अपर्याप्त पारिवारिक गतिशीलता[पाद लेख3]ऐसे नियम जो बहुत अधिक अनुमति देने वाले हैं, अनुशासन जो असंगत या बहुत सख्त है, एक कमजोर बंधन और स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने में असमर्थता को अपराधी व्यवहार के लिए मजबूत जोखिम कारकों के रूप में पहचाना गया था,[पाद लेख4]नशीली दवाओं के प्रयोग,[पाद लेख5]ख़राब शैक्षणिक प्रदर्शन[पाद लेख6]और युवा गिरोहों में सदस्यता।[पाद लेख7]
- व्यवस्था और अनुशासन की कमी वाले परिवारों के किशोरों में संरचित परिवारों के बच्चों की तुलना में वयस्क होने पर अपराधी व्यवहार में शामिल होने का जोखिम चार गुना अधिक होता है।[पाद लेख8]

- अंतर्राष्ट्रीय युवा सर्वेक्षण (आईवाईएस) के अनुसार, 56% युवा जिन्होंने कहा कि उनके माता-पिता को कभी नहीं पता था कि वे किसके साथ हैं, पिछले 12 महीनों के दौरान अपराधी व्यवहार में शामिल थे, जबकि 35% युवा जिनके माता-पिता को हमेशा यह नहीं पता था कि वे कौन हैं। साथ थे और 12% युवा जिनके माता-पिता हमेशा जानते थे कि वे किसके साथ हैं।[पाद लेख9]

माता-पिता की आपराधिकता

- पिट्सबर्ग[पाद लेख10]और कैम्ब्रिज[पाद लेख11]अनुदैर्ध्य अध्ययनों से पता चलता है कि पिता, माता, भाई या बहन का आपराधिक व्यवहार दिखाना लड़कों में अपराधी व्यवहार के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है।

- माता-पिता की आपराधिकता से संबंधित जोखिम कारकों में, पिता द्वारा आपराधिक व्यवहार सबसे प्रभावशाली में से एक है: 63% लड़के जिनके पिता आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें अन्य लड़कों के 30% की तुलना में ऐसा करने का जोखिम है।[पाद लेख12]

बचपन के दौरान दुर्व्यवहार और पारिवारिक हिंसा

- पारिवारिक हिंसा की उपस्थिति और बचपन के दौरान दुर्व्यवहार किया जाना किशोरों के अपराधी व्यवहार और वयस्कता में हिंसा से जुड़े दो महत्वपूर्ण जोखिम कारक हैं।[पाद लेख13]

माता-पिता द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन

- पंद्रह वर्ष के बच्चे जिनके माता-पिता नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, उनके स्वयं नशीली दवाओं का उपयोग करने की संभावना दोगुनी होती है।[पाद लेख14]

- पंद्रह वर्षीय बच्चे जिनके माता-पिता को शराब पीने की समस्या है, उन्हें पीने की समस्या विकसित होने का अधिक खतरा नहीं है।[पाद लेख15]

- 15 साल के बच्चों में, शराब पीने वाले माता-पिता की तुलना में साथियों का दबाव एक अधिक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है।[पाद लेख16]

पारिवारिक विशेषताओं से जुड़े जोखिम कारक

- अलगाव में विचार करने पर, पारिवारिक विशेषताओं से जुड़े जोखिम कारकों का युवाओं में अपराधी व्यवहार को अपनाने पर कम स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव कभी-कभी अन्य कारकों का परिणाम होते हैं, कभी-कभी जोखिम कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।[पाद लेख17]

- टूटे हुए घरों के लड़कों को उन लड़कों की तुलना में अपराधी व्यवहार में शामिल होने का अधिक खतरा होता है जिनके माता-पिता अभी भी एक साथ हैं, लेकिन उन्हें उन लड़कों की तुलना में अधिक खतरा नहीं है जिनके माता-पिता अभी भी एक साथ हैं लेकिन जो संघर्षपूर्ण पारिवारिक माहौल से आते हैं।[पाद लेख18]

- लिंग, आय और माता-पिता की देखरेख को नियंत्रित करने के बाद, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि पारिवारिक संक्रमण में वृद्धि हुई है[पाद लेख19]अपराधी व्यवहार और मादक द्रव्यों के सेवन की उच्च दर से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं।[पाद लेख20]

- रोचेस्टर अध्ययन के नतीजों के मुताबिक, पांच या अधिक पारिवारिक बदलावों का अनुभव करने वाले 90% युवाओं में अपराधी व्यवहार के लक्षण दिखे, जबकि 64.1% युवाओं ने कभी पारिवारिक बदलावों का अनुभव नहीं किया।[पाद लेख21]

निवास के क्षेत्र से जुड़े जोखिम कारक

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

- पारिवारिक कामकाज सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है[पाद लेख22]. जिन परिवारों के पास कम संसाधन हैं और जो वंचित क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश प्रदान करने में अधिक कठिनाई होती है जो उन्हें विचलित और जोखिम वाले व्यवहार से दूर रखेगी।[पाद लेख23]

- अत्यधिक गरीबी, टूटे हुए घर और उच्च आवासीय गतिशीलता वाले क्षेत्र बच्चों के सामाजिक नेटवर्क और सामुदायिक मेलजोल को कमजोर करते हैं, और अप्रभावी माता-पिता के व्यवहार को बढ़ाते हैं।[पाद लेख24]

- छोटे बच्चे जो वंचित क्षेत्रों में रहते हैं और ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जिनमें माता-पिता की देखरेख की कमी होती है, उनके किशोरावस्था में अपराधी व्यवहार में शामिल होने का खतरा होता है।

सुरक्षात्मक कारक

सुरक्षात्मक कारक हमें उन विशेषताओं और स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं जो युवाओं को अपराधी व्यवहार से बचाते हैं और दूर रखते हैं।[पाद लेख26]सुरक्षात्मक कारक वे विशेषताएँ या स्थितियाँ हैं जो जोखिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात, वे जोखिम कारकों से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं और युवाओं को उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करते हैं।[पाद लेख27]
सुरक्षात्मक कारक संचयी और इंटरैक्टिव हैं। हालाँकि, जरूरी नहीं कि वे हमेशा जोखिम कारकों के विपरीत हों; उदाहरण के लिए, किसी गरीब इलाके में बड़े होने को माता-पिता की भागीदारी, भागीदारी और समर्थन से कम किया जा सकता है।[पाद लेख28]
तालिका 2 परिवार से जुड़े सुरक्षात्मक कारकों को दर्शाती है;[पाद लेख29]कुछ उदाहरण नीचे सूचीबद्ध हैं.

- अपराध और नशीली दवाओं/शराब के दुरुपयोग जैसे विकृत व्यवहार के खिलाफ पर्याप्त माता-पिता की प्रथाएं एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कारक हैं।[पाद लेख30]
- पारिवारिक संबंधों की गुणवत्ता सभी आयु वर्ग की लड़कियों और लड़कों के लिए अपराध के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक कारक है।[पाद लेख31]
- परिवारों का अपने समुदाय के जीवन में एकीकरण, पाठ्येतर और शैक्षिक गतिविधियों में परिवारों की भागीदारी, और संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता को भी सुरक्षात्मक कारक माना जाता है।

जिन परिवारों में बाल अपराध के लिए जोखिम कारक मौजूद हैं, उन्हें विभिन्न जोखिम कारकों से प्रभावित एक जटिल वास्तविकता माना जाना चाहिए। "जोखिम में" परिवार की अवधारणा को समग्र रूप से समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परिवार प्रभाव के कई अन्य क्षेत्रों के चौराहे पर है: मित्र मंडली, स्कूल और समुदाय।

परिवार बच्चों और किशोरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सुरक्षात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित करके और बाल अपराध को रोकने और कम करने के लिए माता-पिता और युवाओं को प्रशिक्षण, पारिवारिक चिकित्सा, एकीकृत उपचार योजना या अन्य प्रभावी रणनीतियों की पेशकश करके उन लोगों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है जो जोखिम में हैं।[4,5,6]

तालिका 1 - बच्चों और किशोरों की उम्र के अनुसार परिवार से जुड़े बाल अपराध जोखिम कारक

	6-12 वर्ष	13-17 वर्ष		18 और अधिक उम्र
परिवार गतिशील एवं क्रियाशील		• माता-पिता की ख़राब प्रथाएँ • माता-पिता और/या भाई-बहन का अपराध • हिंसा का समर्थन करने वाली मनोवृत्ति वाले असामाजिक माता-पिता • पारिवारिक कलह		माता-पिता की ख़राब प्रथाएँ माता-पिता और/या भाई-बहन का अपराध

	6-12 वर्ष	13-17 वर्ष	18 और अधिक उम्र
	• माता-पिता को मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या है • शारीरिक शोषण और उपेक्षा • पारिवारिक हिंसा		पारिवारिक हिंसा ख़राब इलाज का इतिहास
पारिवारिक विशेषताएँ	• अस्थिर पारिवारिक आय • टूटा हुआ घर • पारिवारिक गतिशीलता • माता-पिता का मानसिक स्वास्थ्य • युवा माँ • परिवार में बच्चों की संख्या • एकल अभिभावक परिवार • माता-पिता का अतीत	• अस्थिर पारिवारिक आय • टूटा हुआ घर • पारिवारिक गतिशीलता	अस्थिर पारिवारिक आय
निवास का एरिया	• गरीब क्षेत्र • युवा अपराधियों की उपस्थिति	• गरीब क्षेत्र • क्षेत्र में अपराध • युवा टोलियों की उपस्थिति • दवाओं और आग्नेयास्त्रों की उपलब्धता	गरीबी अपराध युवा टोलियां ड्रग्स और आग्नेयास्त्र

तालिका 2 - परिवार से जुड़े सुरक्षात्मक कारक

हर उम्र में

परिवार गतिशील एवं क्रियाशील	पारिवारिक विशेषताएँ	निवास का एरिया
• पारिवारिक बंधन पर आधारित रिश्ता • परिवार में सकारात्मक सहयोग • माता-पिता की पर्याप्त निगरानी • माता-पिता द्वारा मित्रों का सम्मान • माता-पिता और बच्चों के बीच निकटता (स्नेह)	• माता-पिता की शिक्षा का स्तर • वित्तीय स्थिरता • परिवार इकाई की स्थिरता	• समुदाय के जीवन में परिवारों का एकीकरण • पड़ोसियों से संबंध स्थापित हुए • परिवार से जुड़ी स्कूल गतिविधियाँ

हर उम्र में

परिवार गतिशील एवं क्रियाशील	पारिवारिक विशेषताएँ	निवास का एरिया
• लगातार अनुशासनात्मक तरीके • पर्याप्त माता-पिता का व्यवहार और अभ्यास		

विचार-विमर्श

एक समय बाल अपराधियों को पुनर्वास के लिए सक्षम युवाओं के रूप में देखा जाता था। इस समय बाल न्याय प्रणाली में बाल अपराधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोहरा दृष्टिकोण था। बाल न्याय प्रणाली का एक लक्ष्य बाल अपराधी के आचरण को सही करना या उसका पुनर्वास करना था ताकि निर्णय में चूक के परिणामस्वरूप हुई गलती को भविष्य में ठीक किया जा सके।

बाल न्याय प्रणाली में बाल अपराधियों के लिए एक अन्य लक्ष्य रोकथाम था। 1974 का बाल न्याय और अपराध निवारण अधिनियम युवाओं को वयस्क आपराधिक अदालत में उनके वयस्क समकक्षों की तरह दंडात्मक प्रणाली के अधीन होने से रोकने के लिए बनाया गया था। बाल न्यायालयों का ध्यान सजा के बजाय बच्चों की जरूरतों और अधिकारों पर अधिक था। इससे समुदाय में कई कार्यक्रम शुरू हुए जो अपराधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बाल अपराधियों के साथ समस्या की जड़ को संबोधित करने पर केंद्रित थे। हालाँकि, 1980 और 1990 के दशक में हिंसक अपराध में वृद्धि के कारण बाल न्याय प्रणाली ने सजा के माध्यम से समुदाय में खतरे को रोकने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और उन मूल लक्ष्यों को त्याग दिया जो बाल न्याय प्रणाली बाल अपराधियों के लिए चाहती थी। इसका सीधा परिणाम एक बाल न्याय प्रणाली के रूप में सामने आया, जो पुनर्वास और रोकथाम के बजाय बाल अपराधियों की सजा पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थी।

बाल न्याय प्रणाली में सज़ा की ओर बदलाव के दौरान कई संसाधन जो एक बार मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवंटित किए गए थे, अगर पेश किए गए तो गंभीर रूप से अपर्याप्त हो गए। मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों की कमी एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि बाल न्याय प्रणाली में शामिल लगभग आधे से दो-तिहाई बाल मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित हैं। किसी भी समय, बाल हिरासत सुविधा में लगभग साठ प्रतिशत पुरुष और पचहत्तर प्रतिशत महिलाएं कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित होती हैं।[6,7,8]

कई अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य विकार विशेष रूप से बाल अपराधियों में आम हैं। इन मानसिक स्वास्थ्य विकारों के कई लक्षणों में बढ़ती आक्रामकता, बढ़ा हुआ गुस्सा, आवेग नियंत्रण की कमी, अवसाद और चिंता शामिल हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य विकार बाल न्याय प्रणाली में शामिल लगभग दस से बीस प्रतिशत युवाओं में होते हैं। जब इन मानसिक स्वास्थ्य विकारों का इलाज नहीं किया जाता है तो युवाओं के शारीरिक रूप से आक्रामक होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर आक्रामकता के इन प्रकरणों के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों में गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ जाती है, शारीरिक झगड़े का खतरा बढ़ जाता है, दूसरों को चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही खुद को लगने वाली चोटें भी शामिल हो जाती हैं।

बाल न्याय प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले युवाओं की विशाल संख्या उन सभी के अनुपात में नहीं है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। हालाँकि, बाल न्याय प्रणाली में धातु स्वास्थ्य विकारों की संख्या यह संकेत देती है कि बाल की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न उपचार विकल्प रखे जाने चाहिए। चूँकि बाल अपराधी के समुचित इलाज के लिए इस तरह की व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई मानसिक स्वास्थ्य विकार उपचार योजना की आवश्यकता होती है, इसलिए कई बाल न्याय प्रणालियों के पास ऐसी देखभाल प्रदान करने के लिए संसाधन ही नहीं होते हैं। इन सेवाओं के लिए आम तौर पर व्यक्तिगत उपचार योजना के साथ गहन मूल्यांकन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे प्रदान करना बाल न्याय प्रणाली के लिए लगभग असंभव

कार्य हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित बाल अपराधियों को अधिक संसाधन आवंटित करने के हालिया प्रयासों के बावजूद, बाल न्याय प्रणाली में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है।

परिणाम

20 वीं शताब्दी की शूरूआत से ही भारत के विभिन्न राज्यों के अपने बाल कानून रहे है। मद्रास बाल अधिनियम 1920, लागू होने वाला पहला कानून है था, जिसके तुरंत बाद बंगाल व बम्बई बाल अधिनियम, मद्रास बाल अधिनियम के 4 साल बाद लागू हुआ था, पर यह पहला व्यवहारिक कानून था। फरवरी 1924 में, बम्बई शहर की सीमाओं के भीतर इस कानून को प्रावधान के लागू करने ली चिल्ड्रेन्स एंड सोसायटी नामक एक राज्य समर्थित स्वयंसेवी संस्था का गठन किया गया। चिल्ड्रेनस एंड सोसायटी ने बच्चों की देख रेख व सुरक्षा के लिए संस्थाओं का निर्माण किया और आज भी उनको संभालती है राज्यों के बाल कानूनों ने अपने दायरे में दो प्रकार के बच्चों को शामिल किया (1) छोटी उम्र के अपराधों और (2) द्रारिद्रता व अवहेलना के शिकार बच्चे। बाल न्यायालयों द्वारा इन दोनों प्रकार के बच्चों को अपने न्याय के दायरे में लाया जाना था इस दौरान पूरी दुनिया में बच्चों की कल्याण के लिए सम्भला जाता था। इन दोनों प्रकार के बच्चों की खुशहाली केंद्र में थी इस लिए निगरानी अधिकरियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी और कानूनी प्रतिनिधित्व अनसुना था।

भारत सरकार ने बाल अधिनियम 1960 को केंद्र शासित प्रदेशों में अवहेलित व अपराधों बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, रखरखाव, कल्याण, प्रशिक्षण एवं पुर्नवास मुहैया कराने और अपराधी बच्चों की सुनवाई के लिए प्रेरित किया। इस अधिनियम बच्चों की सुनवाई के लिए प्रेरित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु का लड़का और लड़की जो कि 18 वर्ष से कम आयु की श्रेणी में आते है।

बाल कल्याण बोर्ड अवहेलिण बच्चों के किस्सों को देखता था और कानून से विसंगत बच्चे बाल न्यायालय के अंतर्गत आते थे। यह जे.जे. एक्ट 1986 का पूर्वगामी विधान था। राज्य सरकारों ने न सिर्फ बच्चों के लिए अपने अलग कानून बनाए थे बल्कि राज्यों का बाल कानूनों की व्यवस्थाएं भी अलग – अलग थी यह तक कि बच्चे की परिभाषा भी हर राज्य में अलग थी। इसने 1986 में सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।
“4........ हमारा सुझाव है कि हर राज्य के अपने बाल कानून जो कि अन्य राज्यों के बाल कानूनों जो कि अन्य राज्यों के बाल कानूनों से विषयवस्तु और प्रक्रिया दोनों में अलग होने कि बजाय केंद्र सरकार इस विषय में संसदीय विधान की शूरूआत करें ताकि देश की सीमा के भीतर बच्चों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में एकरूपता हो संसद द्वारा लागू किए बाल कानून में न सिर्फ 16 वर्ष से कम आयु के बचों के खिलाफ किए अप्रदों की जाँच और सुनवाई की व्यवस्था हो, बल्कि इसमें अपराधों के अभियुक्त और परित्यक्ता, दरिद्र और खोए हुए बच्चों के सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पुर्नवास के लिए अनिवार्य व्यवस्थाएं भी हों। इसके अतिरिक्त इस विषय पर कानून बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना कि वह पूरी तरह से लागू हो सके और राज्य की ओर से कानून के प्रति सिर्फ मौखिक सहानूभूति के साथ आर्थिक संसाधनों की कमी को इसे लगो न करने के लिए बहाने के रूप से इस्तेमाल नहीं करना भी' अगर ज्यादा नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों पर खर्च करने का सबसे बड़ा पुरस्कार यह होगा कि एक ऐसा मजोब्बोत मानव संसाधन विकसित होगा जो देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सके।”[9,10,11]

29 नवंबर 1985 में संयुक्त राष्ट्र मानक बाल न्याय प्रशासन के न्यूनतम नियमों को अपनाया और पहली बार अंतराष्ट्रीय कानूनों में बाल शब्द का प्रयोग किया गया और सूत्र बाल कानून को गढ़ा गया। घरेलू कानूनों में बाल न्याय को अधिनियम 1986 के पारित होने से भाषा में यह बदलाव प्रतिबिम्बत हुआ एम. एस. सबनीस ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर भाषा में आए इस बदलाव के कारणों को द्वि आयामी बताया: (1) यह समझना की बाल अपराधियों के अथ वयस्क अपराधियों से अलग ब्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि वयस्क के लिए बनी परंपरागत अपराधी न्याय व्यवस्था में उनको विशेष समस्याएँ झेलनी पड़ती है एवं (2) इसके साथ ही विशुद्ध कल्याणकारी गतिविधियों, जो कि बच्चे को सही प्रक्रिया व बुनियादी कानूनी सुरक्षा इंतजामों से दूर करते है, से सचेत रहन।”
बीजिंग नियमों के आगमन के साथ ही कल्याणवाद के युग की जगह न्याय के ढांचे ने ले ली। 1.4 बाल न्याय को हर देश की राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाएगा जिसमें सभी किशोरों के लिए सामाजिक न्याय की समग्र रूपरेखा होगी साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा में योगदान के साथ समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा।

बच्चे की खुशहाली और न्याय, के इन दोनों पहलुओं को ध्यान देने का विभाजन किया जाना था। न्याय सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी जिन्हें उनके कर्मों की वजह से तकलीफ झेलनी पड़ी है। कल्याणवाद के प्रति राजनीतिज्ञों, आम जनता और यहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के भीतर बढ़ते विरोध के कारण इसकी जरूरत महसूस की कार्यकत्ताओं के भीतर बढ़ते विरोध के कारण इसकी जरूरत महसूस की गई। यह मानते है कि एक उम्र के बाद बच्चों को अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए; यदि वे वयस्कों की तरह व्यवहार कर सकते हैं तो उनके साथ वयस्कों की व्यवहार क्यों नहीं किया जाना चाहिए जबकि दुसरे समझते हैं की कल्याणवाद एक जैसी परिस्थिति में फंसे किशोरों के साथ अतार्किक ढंग से और बिना सोचे हुए व्यवहार करता

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

है इसलिए उन्हें भी वयस्कों को मिलने वाली संवैधानिक और प्रक्रियात्मक बचावों के दायरे में लाया जाना चाहिए खासकर इसलिए क्योंकि बाल भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है।

राष्ट्रों ने बाल अपराधियों और देखभाल व सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए अगल अलग कानूनों का निर्माण किया जे. जे. एक्ट 1986 के लागू होने के साथ एक ही कानून के होते हुए भी अवहेलित बच्चों और अपराधी बच्चों के लिए दो भिन्न मशीनरियों (व्यवस्थाओं) का गठन किया गया अपनी- अपनी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जाँच के दौरान इन दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ सुरक्षा गृहों में रखा जाता था। जे. जे. एक्ट 2000 ने पहली बार कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों को जाँच के दौरान लग अलग रखे जाने का प्रावधान दिया। इस विभाजन का मकसद मासूम बच्चों पर अपराधी किशोरों के प्रभाव को कम करना है। असुरक्षित और गलत मार्गदर्शन के शिकार बच्चों को अब अप्रिय और हिंसक बाल माना जाता है जिनसे अन्य बच्चों को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है धारणाओं में आए इस बदलाव की वजह यह है कि आज बाल अपराध ज्यादा दिखने लगा है जिनमे से ज्यादातर सड़कों पर होते है जहाँ बच्चे पारिवारिक और समाजिक सहायता के बिना जीने की कोशिश करते है। मीडिया ने भी कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को अमानवीय हरकत करने वालों 'जो कि अपनी उम्र के कारण सस्ते से बच जाते है' की तरह दिखाने में बड़ा योगदान किया है।[12,13,14]

निष्कर्ष

भारत के बाल कानून ने कल्याणवाद और न्याय के बीच " कल्याण नयायालय" द्वारा तालमेल बिठाने की कोशिश की है जो कि बच्चों को जाँच के दौरान संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा, इंतजाम मुहैया कराता है। और उसके बाद बच्चे का हित और उसके समग्र पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। जे. जे.एक्ट 2000 ही आज तक कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखरेख करता है। [15,16,17]शुक्र है की अब तक हमारे बाल न्याय बोर्ड छोटे अपराधियों के लिए निचले अपराधी न्यायालय में परिवर्तित नहीं हुए बाल अपराधी को सही सामाजिक प्ररिक्ष्य देते है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन ने बच्चों से जुड़ी सारी क्रियाओं में बच्चों के लिए कुछ गारंटी सुनिश्चित करते हुए यह भी माना है की बच्चों का सर्वोपरी हित प्रमुख स्थान पर हो। मानक नियमों में भी यह माना गया है कि सर्वोपरी हित का सिद्धांत जे. जे. एक्ट 2000 के व्यवहारीकरण, व्याख्या व क्रियान्वयन के लिए मौलिक है और बाल न्याय को लागू करने में इन्हें प्राथमिक दर्जा दिया जाना चाहिए।[18,19,20]

संदर्भ

1. क्लेज़, एम., एट अल. 2005. "पालन-पोषण, सहकर्मी अभिविन्यास, नशीली दवाओं का उपयोग, और देर से किशोरावस्था में असामाजिक व्यवहार: एक क्रॉस-नेशनल अध्ययन"। जर्नल ऑफ यूथ एंड एडोलसेंस , 34(5): 401-411।
2. एथिएर, एल., एट अल. 2007. "परिवारों में दीर्घकालिक उपेक्षा से संबंधित कारक"। सीईसीडब्ल्यू सूचना पत्रक (संख्या 50ई)। टोरंटो: टोरंटो विश्वविद्यालय, सामाजिक कार्य संकाय।
3. एथिएर, एल., एट अल. 2006। रेपोर्ट डी रिसर्च, एफक्यूआरएससी ।
4. फ़ारिंगटन, डी., एट अल। 2006. 50 वर्ष की आयु तक आपराधिक करियर और 48 वर्ष की आयु तक जीवन में सफलता: अपराधी विकास में कैम्ब्रिज अध्ययन से नई खोज । लंदन: गृह कार्यालय अनुसंधान, विकास और सांख्यिकी निदेशालय।
5. फ़ारिंगटन, डी. 2002. "डेवलपमेंटल क्रिमिनोलॉजी एंड रिस्क-फोकस्ड प्रिवेंशन", एम. मैगुइरे, आर. मॉर्गन और आर. रेनर (संस्करण), द ऑक्सफ़ोर्ड हैंडबुक ऑफ़ क्रिमिनोलॉजी, तीसरा संस्करण (657-701) में। ओ एक्सफ़ोर्ड: यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओ एक्सफ़ोर्ड प्रेस।
6. होवे, एम., एट अल. 2007. "पुरुष युवा वयस्कों के अपराध पर पालन-पोषण और पारिवारिक विशेषताओं का दीर्घकालिक प्रभाव"। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी , 4: 161-194।
7. हॉटन, टी. और डी. हंस। 2004. "प्रारंभिक किशोरावस्था में शराब और नशीली दवाओं का उपयोग"। स्वास्थ्य रिपोर्ट , 15(3). ओटावा: सांख्यिकी कनाडा।
8. हॉटन, टी. 2003. "बचपन की आक्रामकता और घर में हिंसा का जोखिम"। अपराध और न्याय पेपर अनुसंधान श्रृंखला (कैटलॉग संख्या 85-561-एमआईई-002)। ओटावा: सांख्यिकी कनाडा।
9. लैकोर्स, ई., एट अल. 2006. "प्रारंभिक-शुरुआत डेवियंट पीयर ग्रुप संबद्धता की भविष्यवाणी: एक 12-वर्षीय अनुदैर्ध्य अध्ययन"। आर्क जनरल मनोचिकित्सा , 63: 562-568।
10. लॉरेंस, ए., एट अल. 2001. युवा हिंसा: सर्जन जनरल की एक रिपोर्ट । स्वास्थ्य और मानव सेवा के संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग।

11. लेब्लांक, एम. 1999. जे. प्राउलक्स, एम. क्यूसन और एम. ओइमेट (संस्करण), लेस वायलेंस क्रिमिनेल्स (319-353) में "लेस कॉम्पॉर्टमेंट्स वायलेंट डेस एडोनेल्स: अन फेनोमेन पार्टिकुलियर"। क्यूबेक: लेस प्रेसेस डे ल'यूनिवर्सिटी लावल।
12. लोएबर, आर., डी. फ़ारिंगटन और डी. पेटेचुक। 2003. "बाल अपराध: प्रारंभिक हस्तक्षेप और रोकथाम"। बाल अपराध, बुलेटिन श्रृंखला । वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी न्याय विभाग, न्याय कार्यक्रम कार्यालय, बाल न्याय और अपराध निवारण कार्यालय।
13. लोएबर, आर., एट अल. 1998. "पुरुष अपराध का विकास: पिट्सबर्ग युवा अध्ययन के पहले दशक से मुख्य निष्कर्ष"। अपराध और अपराध रोकथाम में अध्ययन , 7:141-172।
14. मेयर, एम., सी. लावेर्गने और आर. बराल्डी। 2004. मादक द्रव्यों का सेवन और बाल उपेक्षा: परिवार में घुसपैठिए। बाल कल्याण उत्कृष्टता केंद्र (सीईसीडब्ल्यू) सूचना पत्रक #14ई । मॉन्ट्रियल, क्यूसी, कनाडा: यूनिवर्सिटी डे मॉन्ट्रियल और इंस्टीट्यूट पोर ले डेवलपमेंट सोशल डेस ज्यून्स।
15. मैकवी, एस. और एल. होम्स। 2005. "12 से 17 वर्ष की आयु में पारिवारिक कामकाज और मादक द्रव्यों का उपयोग"। युवा संक्रमण और अपराध का एडिनबर्ग अध्ययन (संख्या 9)। एडिनबर्ग: एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, कानून और समाज केंद्र।
16. मुचीएली, एल. 2000. फ़ैमिल्स एट डिलिनक्वेन्सेस: अन बिलन प्लुरिडिसिप्लिनेयर डेस रीचर्चेस फ़्रैंकोफ़ोन्स एट एंग्लोफ़ोन्स । (के. मुचीएली, एड.). फ़्रांस: एलोकेशन फ़ैमिलियल्स, कैसेस नेशनले डी'एलोकेशन फ़ैमिलियल्स (CNAF)।
17. रग्गे, टी. 2006. पुरुष आदिवासी अपराधियों का जोखिम मूल्यांकन: 2006 का परिप्रेक्ष्य । ओटावा: सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी कनाडा।
18. सैमस्पॉन, आर., एस. राउडेनबुश और एफ. अर्ल्स। 1997. "पड़ोस और हिंसक अपराध: सामूहिक प्रभावकारिता का एक बहुस्तरीय अध्ययन"। विज्ञान , 227(532): 918-924।
19. सावोई, जे. 2007. "युवा स्व-रिपोर्टेड अपराध"। ज्यूरिस्टेट , 27(6). ओटावा: सांख्यिकी कनाडा, कनाडाई न्याय सांख्यिकी केंद्र।
20. शोनेर्ट-रेइचल, के. 2000. जोखिम में बच्चे और युवा: कुछ संकल्पनात्मक विचार । मानव संसाधन विकास कनाडा की सहायता से कनाडाई शिक्षा सांख्यिकी परिषद द्वारा प्रायोजित पैन-कैनेडियन शिक्षा अनुसंधान एजेंडा संगोष्ठी के लिए पेपर तैयार किया गया।

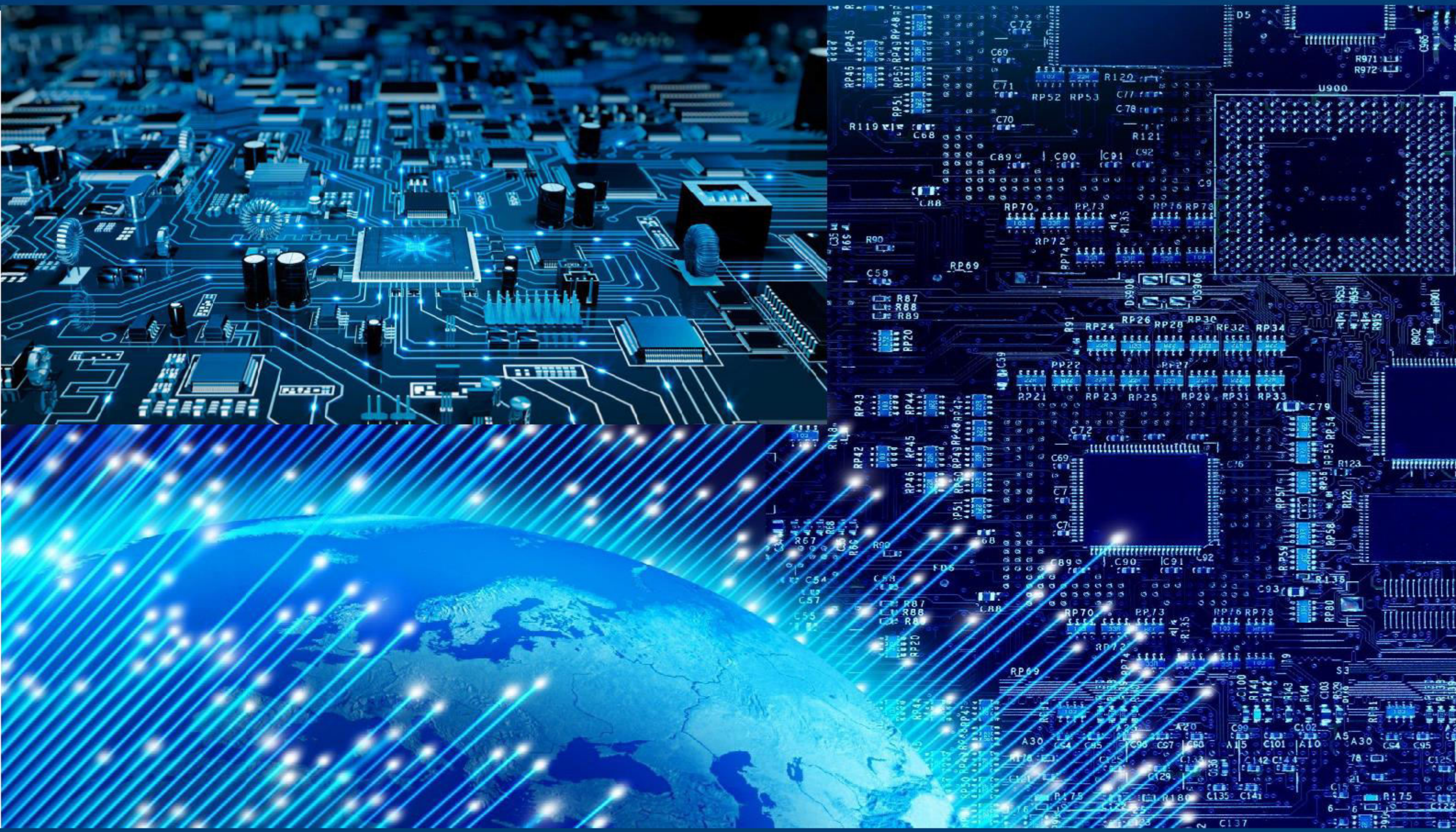

IJARASEM

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

निस्केयर
NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com